

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) पंचमसिद्धि, पूरु

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

निवाह श्री. सुब्रह्मण्यम उनवान बनाम श्री. सत्यनारायण आर.ए.एस.

दावा बाबत नाम डिक्री U/S 88 RTA


मुकदमा नम्बर :- 120 / 2022

निर्णय दिनांक :- 10.06.2022

वादी की ओर से श्री. सुब्रह्मण्यम की व प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 10.06.2022 को श्री सत्यनारायण आर.ए.एस. (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, चूरु के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि - दावा को स्वीकार

किया जाकर रोही ग्राम कस्बा चूरु की जमाबंदी के ताकत में 29
खण्ड 448, 449, 450, 451, 454, 455 में डिक्री निजाम युग अबुल्ला के
जमाबंदी निजाम मोहम्मद युग अबुल्ला के नाम की घोषणा की जाती है।
तहसीलदार चूरु उम्मानुल्ला राजू के अतिरिक्त में समस्त दस्तावे
करें। वादी के पूर्व के कोई आपत्ति (अपवाद) या हकीकत
राशि स्वीकार होता पूर्व नाम ही मान्य होगा।
खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 10.06.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।


(सत्यनारायण)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4.रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	

